न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : बाबूलाल कोठारी, आई.ए.एस

राजस्व प्रथम अपील संख्या 82/2019

अपीलान्ट		रेस्पोडेन्ट
कायमदीन पुत्र श्री निहाल खां जाति मुसलमान, निवासी लाठी, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर	बनाम	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पोकरण, तहसील, पोकरण, जिला जैसलमेर। 2. अधीक्षण भू–वैज्ञानिक खान एवं भू विज्ञान विभाग, जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.3.2017 जो राजस्व प्रकरण अपील संख्या 12/2015 मे जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित
2. रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से बावजूद नोटिस तामिल कोई उपस्थित नही है।
3. श्री ओम प्रकाश चौधरी रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट को वर्ष 1978 मे ग्राम लाठी के खसरा संख्या 46 की भूमि मे से 75 बीघा भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया था। उक्त भूमि पर आज भी कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है। ग्राम लाठी के खसरा संख्या 46 रकबा 486 बीघा 6 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 477 दिनांक 28.4.2003 द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग के नाम खनिज संभावित क्षेत्र के रूप मे दर्ज कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने प्रथम राजस्व अपील जिला कलेक्टर, जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत । जिला कलेक्टर, जैसलमेर ने उक्त प्रथम अपील को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि प्रश्नगत भूमि सिलका सैण्ड खनिज का संभावित क्षेत्र होने से ग्राम लाठी के खसरा संख्या 46 की भूमि खनिज संभावित क्षेत्र का इन्द्राज राजकीय निर्देशों के अनुसारण मे किया गया है। जिसमे कोई त्रुटि नही है। अतः अपीलान्ट की अपील को सारहीन मानते हुए खारीज कर दी

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

।। उक्त प्रथम अपील के निर्णय दिनांक 22.3.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील, न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

हमने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपील के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलान्ट को वर्ष 1978 मे ग्राम लाठी के खसरा संख्या 46 की भूमि मे से 75 बीघा भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया था। उक्त भूमि पर आज भी कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है। ग्राम लाठी के खसरा संख्या 46 रकबा 486 बीघा 6 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 477 दिनांक 28.4.2003 द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग के नाम खनिज संभावित क्षेत्र के रूप बिना आवंटन के दर्ज कर दी गयी।

यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जा सुपुर्दगी की रिपोर्ट एवं आवंटन आदेश की प्रति पेश कर दी गयी थी ,जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने द्वारा कोई विचार नही किया गया। उक्त आवंटन के आधार पर तहसीलदार द्वारा राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज किया जाना चाहिए था। परन्तु तहसीलदार द्वारा ऐसा नही किया गया, जिस कारण सम्पूर्ण भूमि का इन्द्राज रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज हो गया।

यह है कि विवादित भूमि पर न तो कभी खान कार्य हुआ एवं न हो सकता था, क्योंकि उक्त भूमि मे कोई खनिज सम्पदा है ही नही। स्वयं खनिज विभाग द्वारा यह रिपोर्ट पेश की कि विवादित भूमि मे कोई खनिज सम्पदा नही है। स्वंय हल्का पटवारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट मे उल्लेखित किया गया है कि उपरोक्त खसरान की भूमि मे से 75 बीघा भूमि का आवंटन अपीलार्थी को किया गया तथा उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है। खनिज विभाग का कब्जा भी उक्त भूमि पर नही । उक्त आवंटन को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। बिना आवंटन निरस्त के अन्य को उक्त भूमि आवंटित नही की जा सकती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 477 एवं अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य होने निरस्त फरमाया जावे।

उपस्थित **रेस्पोडेन्ट** के अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भुमि को राज्य सरकार के खनिज विभाग के परिपत्र दिनांक 7.2.2002 की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे अमलदराम करवाया गया है, जिसके लिए राजस्व विभाग द्वारा भी परिपत्र दिनांक 17.1.2002 जारी किया गया है।

यह है कि खसरा संख्या 46 जो कि रिकार्ड अनुसार हल्का पटवारी द्वारा राजकीय भूमि बताई गई थी, इस खसरे मे खनिज सिलिका सैण्ड पाये जाने के कारण इस भूमि को राजस्व रिकार्ड मे राज्य सरकार के आदेशानुसार खनिज सम्भावित क्षेत्र के रूप मे अमलदराम करवाया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार खनिज सम्भावित क्षेत्र का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करने का

आदेश प्रभारी अधिकारी राजस्व विभाग, जिला कलेक्टर,जैसलमेर द्वारा सम्बनिधत तहसीलदार/पटवारी को वर्ष 2002 मे प्रेषित किया गया था। राजस्व विभाग के परिपत्र मे स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि " **सम्बधित उपखण्ड अधिकारी सुनिश्चित करेगें कि इस प्रकार के खनिज सम्भावित क्षेत्र का कोई आवंटन एवं नियमन नही हो।**"

नामान्तरकरण संख्या 477 को देखने से यह स्पष्ट है कि उक्त कार्यवाही के समय यह भूमि सिवायचक दर्ज होकर राजकीय खाते मे दर्ज थी। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 477 पारित करने मे तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नही की गयी है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलाधीन आदेश पारित करने मे कोई त्रुटि नही की है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारीज फरमायी जावे।

हमने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की बहस मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट को वर्ष 1978 मे ग्राम लाठी के खसरा संख्या 46 की भूमि मे से 75 बीघा भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया था। उक्त भूमि पर आज भी कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा। हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश की छाया प्रति का अवलोकन किया जिसमे आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश की पालना मे कब्जा देकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। अपीलान्ट द्वारा आवंटन के पश्चात कब्जा दिये जाने के समर्थन मे कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है और ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये थे। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा तथाकथित आवंटन के आधार पर इतने वर्षो तक आवंटन नियमों मे निर्धारित प्रकिया अनुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज क्यों नही करवाया, साथ ही नामान्तरकरण संख्या 477 के विरूद्ध 15 वर्षो तक कोई कार्यवाही क्यों नही की। उक्त समस्त बिन्दू पर अपलान्ट द्वारा कोई ठोस कारण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अपीलान्ट तथाकथित आवंटन के आधार पर राजकीय भूमि पर अपना अधिकार समझता है तो उन्हे Rajasthan Land Revene (Allotment of Land for Agriculture Purpose) Rules, 1970 के तहत निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम अधिकारी के समक्ष चाराजोही करनी चाहीये थी। नामान्तरकरण अपील एक समरी प्रासिंडिग्स है जिसमे खातेदारी अधिकार अर्जन से संबंधित जटिल बिन्दुओं का निर्णय नही किया जा सकता है।

रेस्पोडेन्ट के कथन अनुसार विवादित भुमि को राज्य सरकार के खनिज विभाग के परिपत्र दिनांक 7.2.2002 की पालना मे राजस्व रिकार्ड मे खनिज सम्भवित क्षेत्र का अंकन करवाया गया है तथा इसी आधार पर नामान्तरकरण संख्या 477 राजकीय सिवाय चक भूमि के नाम से स्वीकृत किया गया। उक्त परिपत्र मे अंकित किया गया है "**कि सरकारी भूमि के वे खसरा नम्बर जो**

खनिज सम्भावित एरिया है उनकी सूची एक माह मे सबंधित तहसीलदार को भिजवा दी जावे जो राजस्व रिकार्ड के अन्दर उन खसरा नम्बरान के सामने खनिज सम्भावित क्षेत्र होने का अंकन करेगें। भूमि की किस्म के साथ–साथ खनिज सम्भावित क्षेत्र का अंकन भी किया जायेगा। ये इन्द्राज भी रेकार्ड मे जरिये नामान्तरकरण किया जायेगा। ताकि खनिज सम्भावित क्षेत्र का आवंटन या नियमन या वन विभाग को हस्तान्तरित हो सके।" तहसीलदार द्वारा उक्त परिपत्र मे दिये गये निर्देशानुसार नामान्तरकरण संख्या 477 राजकीय सिवाय चक भूमि के नाम से स्वीकृत किया है न की खनिज विभाग के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जैसा कि अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मे दावा किया जा रहा है। जबकि केवल कालम संख्या 14 मे खनिज सम्भावित क्षेत्र का अंकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार, पोकरण द्वारा जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया है उसमे कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है। इसी प्रकार अपीलाधीन आदेश मे भी किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन एवं चलने योग्य नही होने से खारीज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.3.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,जोधपुर